न्यायालय माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र.क्रं. PBR/निगरानी/मंदसौर/भू०रा०/2018/1630

श्रीमती चंद्रप्रभा पति ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण उम्र 77 वर्ष धन्धा कृषि व पेंशनर निवासी सीतामऊ तहसील सीतामऊ जिला मन्दसौर मप्र------निगरानीकर्ता

बनाम

म०प्र० शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सीतामऊ जिला मन्दसौर---विपक्षी

निगरानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं०1959

माननीय महोदय

अधीनस्थ न्यायालय माननीय अनुविभागीय अधिकारी सीतामऊ जिला मंदसौर के प्र०क्रं०11/अ2/17-18 में पारित आदेश दिनांक 04.10.2017 के विरुध्द निगरानी आवेदन

1. संक्षिप्त विवरण -

संहिता के अंतर्गत सन् 1960 से ही भूमि स्वामित्व में भूमि धारण करने वाले भूमि स्वामी से आवेदिका ने पंजीकृत बिक्रीनामा से दिनांक 11-07-2000 को ग्राम सीतामऊ स्थित कृषि खाता की भूमि सर्वे क्रमांक 329/1 रकबा 1.012 हे. व सर्वे क्रमांक 339/1 रकबा 0.051 हे. भूमि भूमिस्वामी स्वत्व में अर्जित की । विधिवत नामान्तरण हुआ तभी से बतौर भूमि स्वामी कब्जा व काश्त तथा उपभोग में चली आ रही हैं ।आवेदिका ने मु०खास के द्वारा प्रार्थना पत्र आवासीय प्रयोजन से व्यपवर्तन हेतू प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 172 माननीय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया है ।

08.3.18

प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 3.4.18 नियत।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/मंदसौर/भू.रा./2018/1630

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-4-2018	आवेदिका की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक एवं अनावेदक शासन की ओर से श्री अजय चतुर्वेदी, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रचलित होने के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही स्थगित की गई है । अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि यदि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन नहीं दिया गया है तो वह प्रकरण का गुण-दोष पर प्रकरण निराकरण करें। उपरोक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	